

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.28(167)पंरावि/प्र-2/ग्रासे/पदोन्नति-जांच/10/1728 जयपुर,दिनांक:- 29/6/11

आदेश

ग्राम सेवक पदेन सचिव से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सिफारिश के आधार पर बन्द किये गये लिफाफों में से निम्न ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के बन्द लिफाफे खोले जाकर उन्हें उनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर (पंचायत प्रसार अधिकारी की वेतन श्रृंखला में) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम ग्राम सेवक पदेन सचिव/पिता का नाम	वर्तमान पदस्थापित पंचायत समिति	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नति वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक कुमार	—	191	2001-02	सेवानिवृत्त
2.	कन्हैयालाल	—	225	2001-02	सेवानिवृत्त 30.9.2007
3.	मो० यासीन / इब्राहीम	—	297	2003-04	सेवानिवृत्त 30.11.2008
4.	श्री गोविन्दलाल / किरोडीलाल	—	335	2003-04	सेवानिवृत्त 28.02.2009
5.	सुखदेव / ग्यारसीलाल	—	358	2003-04	सेवानिवृत्त 31.01.2010
6.	नवलसिंह / परसादीलाल	हिण्डौन	447	2006-07	—
7.	राधेश्याम / छोटूलाल	मालपुरा	582	2009-10	—
8.	हरदीनाराम / देवाराम, एससी	—	1045	2009-10	मृत्यु दिनांक 22.04.2010
9.	यादराम शर्मा / रामचन्द्र शर्मा	हिण्डौन	611	2009-10	—
10.	प्रतापसिंह / बन्नेसिंह	—	623	2009-10	सेवानिवृत्त 31.07.2009
11.	गुलाबचन्द / जगनलाल माली	—	626	2009-10	सेवानिवृत्त 31.12.2009
12.	रामकरण / हीरालाल	टोडारायसिंह	633	2009-10	—
13.	बंशीलाल गर्ग / रूपलाल	डूंगला	669	2009-10	—
14.	विमलचन्द जैन / सुजानमल जैन	—	689	2009-10	स्वै० सेवानिवृत्त 1.10.2009

vk Order

15.	रामेश्वरलाल / छीतरलाल	-	764	2009-10	सेवानिवृत्त 30.06.2009
16.	ईश्वरसिंह / रूपसिंह	आसीन्द	664	2009-10	-
17.	लादूसिंह / निर्भयसिंह	आसीन्द	683	2009-10	-
18.	सुखपाल सिंह	बानसूर	579	2009-10	-

उक्त कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा परन्तु काल्पनिक (नोशनल) लाभ पदोन्नति वित्तीय वर्ष की अन्तिम दिनांक से देय होगा एवं इनकी वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति वर्ष से किया जावेगा ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.14(88)FD(Rules) 2008-I दिनांक 31.12.09 के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार उक्त पदोन्नत ग्राम सेवकों द्वारा पदोन्नति फोरगो करने पर अगला चयनित वेतनमान पदोन्नति फोरगो करने की अवधि तक देय नहीं होगा । तदनुसार संबंधित ग्राम सेवक की सेवा पुस्तिका में नोट (लाल स्याही) अंकित कर सूचित किया जावे ।

यह आदेश कार्मिक (क-2) विभाग की आई.डी. संख्या 562 दिनांक 23.5.11 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है ।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव (प्रशा-2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- जिला कलक्टर, संबंधित ।
- 5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित ।
- 6- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सम्बन्धित ।
- 7- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सम्बन्धित ।
- 8- सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को पालनार्थ ।
- 9- संस्थापन लिपिक (पंचायत प्रसार अधिकारी) मुख्यालय ।
- 10- आदेश पत्रावली ।

शासन उप सचिव (प्रशा-2)